न्यायालय उपखंड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी: पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)

उनवान

खेमचंद बनाम बद्रीलाल

प्रकरण संख्या :-05/21

1. खेमचंद पुत्र हरलाल जाति लोधा निवासी गुराड़ी तहसील मनोहर थाना
2. नंदलाल पुत्र खेमचंद जाति लोधा निवासी गुराड़ी तहसील मनोहर थाना
3. राधेश्याम पुत्र खेमचंद जाति लोधा निवासी गुराड़ी तहसील मनोहर थाना

.... प्रार्थीगण

1. बद्रीलाल पिता अमरा जाति लोधा निवासी गुराड़ी तहसील मनोहर थाना
2. भंवरलाल पुत्र अमरा जाति लोधा निवासी गुराड़ी तहसील मनोहर थाना
3. केसर बाई पत्नी अमरा जाति लोधा निवासी गुराड़ी तहसील मनोहर थाना
4. राधी बाई पत्नी भंवरलाल जाति लोधा निवासी गुराड़ी तहसील मनोहर थाना
5. ग्यारसी बाई पत्नी रामकिशन जाति लोधा निवासी आंवालहेड़ा तहसील मनोहर थाना
6. घीसालाल पुत्र रामकिशन जाति लोधा निवासी आंवालहेड़ा तहसील मनोहर थाना
7. बरजी बाई पुत्री रामकिशन जाति लोधा निवासी आंवालहेड़ा तहसील मनोहर थाना

8 हीराबाई पुत्री रामकिशन जाति लोधा निवासी आंवालहेड़ा तहसील मनोहर थाना

.................अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:निर्णय:-

दिनाँक:- 17.04.202

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने अपनी वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1241/87, 1305/85 व 1205/83 तक कृषि उपकरण, हल, कुल्ली, बैलगाड़ी एवं ट्रैक्टर आदि ले जाने के लिए खसरा नंबर 1375/83 की उत्तरी मेड़, खसरा नंबर 84 की दक्षिणी मेड़ तथा खसरा नंबर 1316/85 की दक्षिणी मेड़ पर से होकर 10 फुट चौड़ा रास्ता खोले जाने की प्रार्थना की है।प्रार्थीगण द्वारा नक्शा/नक्शा ट्रेस पेश कर यह अंकित किया गया कि वर्तमान में उनकी जोत तक जाने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा अप्रार्थीगण द्वारा लोहे के नुकीले तार लगाकर उपरोक्त मार्ग बंद कर दिया गया है।

2. प्रार्थना पत्र रजिस्टर में दर्ज कर अप्रार्थीगण की तलबगी की गई तथा धारा 251क / 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानानुसार तहसीलदार मनोहरथाना से रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थीगण ने वकालतनामा पेश कर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

3. अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से यह तथ्य अंकित किया कि प्रार्थीगण की आराजियों तक पहुंचने के लिए सरकारी गैर-मुमकिन आम रास्ता खसरा नंबर 1339/86 एवं खसरा नंबर 86 सरकारी बंजर से होकर खसरा नंबर 1235/87 की पूर्वी मेड़, तत्पश्चात खसरा नंबर 1394/87 की पूर्वी एवं दक्षिणी मेड़ से होते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1241/87 व 1305/85 तक पगडंडी मार्ग विद्यमान है। उक्त मार्ग का उपयोग अन्य खातेदार खसरा नंबर 1297/87, 99, 1375/83, 1373/83, 1240/83 एवं 115 के खातेदार भी अपने-अपने खेतों तक पहुंच हेतु बाप-दादों के समय से करते चले आ रहे हैं तथा मौके पर भी यह पगडंडी मार्ग विद्यमान पाया गया है।

4. अप्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी खसरा नंबर 1386/11 पेश की, जिससे यह तथ्य प्रकट होता है कि केसरबाई पत्नी खेमचंद, जो प्रार्थी नंबर 1 की पत्नी एवं प्रार्थी नंबर 2 व 3 की माता है, उक्त खसरा 1386/11 की सह-खातेदार है एवं यह आराजी सरकारी गैर-मुमकिन आम रास्ता खसरा नंबर 1339/86 से लगी हुई है। इसी प्रकार नकल जमाबंदी खसरा नंबर 11 से यह सिद्ध होता है कि प्रार्थी खेमचंद स्वयं खसरा नंबर 11 का सह-खातेदार है तथा यह 1386/11 से लगा हुआ है और आगे चलकर प्रार्थीगण की वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1205/83 से भी सटी हुई है जिसके लिए वादी ने वर्तमान प्रार्थना पत्र में रास्ता चाहा है।

5. अप्रार्थीगण ने यह भी आपत्ति ली है कि जिस खसरा नंबर 1316/85 की मेड़ पर

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

से होकर रास्ता मांगा गया है, उसके सह-खातेदार भूलीबाई पत्नी अमरलाल को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है, अतः प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकार के अभाव में विचार योग्य नहीं है।

6. तहसीलदार मनोहरथाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में राजस्व रिकॉर्ड एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर यह अंकित किया गया कि राजस्व अभिलेखों में यद्यपि खसरा नंबर 1241/87 व 1305/85 हेतु कोई दर्ज मार्ग अंकित नहीं है, तथापि ग्राम रूपाहेड़ा एवं आंवालहेड़ा के मध्य सीमा पर स्थित मार्ग से खसरा नंबर 1235/87 की पूर्वी मेड़, खसरा नंबर 1394/87 की पूर्वी एवं दक्षिणी मेड़ से होते हुए खसरा नंबर 1241/87 व 1305/85 तक जाने की पगडंडी मौके पर विद्यमान है।

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क(1)(ख) एवं धारा 251ए के प्रावधानानुसार उपखंड अधिकारी तभी नया मार्ग खोलने, विद्यमान मार्ग का विस्तार करने अथवा किसी अन्य खातेदार की जोत से होकर मार्ग देने का आदेश कर सकता है, जब संक्षिप्त जांच के पश्चात यह समाधान हो जाए कि –

प्रार्थी की आवश्यकता आत्यन्तिक (अनिवार्य) है, मात्र सुविधाजनक नहीं। अन्य खातेदार की जोत से होकर मार्ग हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित मार्ग लघुत्तम व निकटतम हो,अधिकतम चौड़ाई 30 फुट से अधिक न हो।

8. धारा 251क(2) के अनुसार जिस भूमि में से होकर ऐसा मार्ग स्वीकृत किया जाए, उस भाग की अभिधृति निर्वापित समझी जाकर भूमि को राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना है, अतः यह अत्यंत अपवादात्मक अधिकार है, जिसका प्रयोग कठोर परीक्षण के उपरांत ही किया जा सकता है।

9. अभिलेख से प्रत्यक्ष है कि खसरा नंबर 1386/11 में केसरबाई पत्नी खेमचंद सह-खातेदार हैं, जो वादी की पत्नी/माता हैं तथा यह आराजी गैर-मुमकिन आम रास्ता खसरा नंबर 1339/86 से सटी हुई है। इसी प्रकार खसरा नंबर 11 में स्वयं वादी खेमचंद सह-खातेदार हैं और यह भी उक्त खसरा नंबर 1386/11 से लगा हुआ है। आगे चलकर यही आराजियां वादग्रस्त खसरा नंबर 1205/83 से सटकर अवस्था में हैं, जिससे यह सहज रूप से सिद्ध होता है कि वादी अपनी एवं अपनी पत्नी/परिवार की सह-खातेदारी वाली भूमि से होकर सार्वजनिक रास्ते खसरा नंबर 1339/86 के माध्यम से वादग्रस्त खसरा नंबर 1205/83 तक सुगमता से पहुंच सकता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

10. किन्तु वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह महत्वपूर्ण तथ्य कहीं भी अंकित नहीं किया कि वह जिस खसरा नंबर 1205/83 हेतु रास्ता चाहता है, वह स्वयं एवं उसकी पत्नी/माता की सह-खातेदारी वाली भूमि खसरा नंबर 1386/11 एवं 11 से लगी हुई है और इन आराजियों को उपयोग में लेकर आम रास्ते से सीधे अपनी वादग्रस्त आराजी तक पहुंच संभव है।यह तथ्य वादी के ज्ञान से परे नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वयं इन आराजियों का खातेदार/संबंधित परिवार का सदस्य है, अतः इस महत्वपूर्ण तथ्य का प्रार्थना पत्र में उल्लेख न करना सामग्री तथ्य को छुपाने की श्रेणी में आता है।

11. न्यायालय की दृष्टि में यह एक सुप्रतिष्ठित सिद्धांत है कि जो पक्ष क्लीन हैंड्स से न्यायालय के समक्ष न आए और महत्वपूर्ण तथ्य दबाकर राहत प्राप्त करना चाहे, उसे न्यायिक विवेकाधिकार की अपवादात्मक राहत प्रदान नहीं की जा सकती। वादी द्वारा अपनी स्वयं एवं उसकी पत्नी/माता की सह-खातेदारी वाली आराजियों और उनसे उपलब्ध मार्ग का उल्लेख न करना न्यायालय से तथ्य छुपाकर आने का स्पष्ट उदाहरण है।

12. तहसीलदार की रिपोर्ट, अप्रार्थीगण के जवाब एवं पेश की गई नकल जमाबंदियों से यह सिद्ध होता है कि प्रार्थी की वादग्रस्त आराजियों 1241/87 व 1305/85 तक पहुंचने के लिए सरकारी गैर-मुमकिन आम रास्ता खसरा नंबर 1339/86 एवं 86, खसरा नंबर 1235/87 की पूर्वी मेड़ तथा खसरा नंबर 1394/87 की पूर्वी व दक्षिणी मेड़ से होते हुए पगडंडी मार्ग विद्यमान है, जिसे अन्य खातेदार भी उपयोग में लेते रहे हैं।इसी प्रकार खसरा नंबर 1205/83 तक पहुंचने के लिए वादी की पत्नी/माता के नाम सह-खातेदारी वाली आराजी 1386/11 तथा स्वयं वादी की सह-खातेदारी वाली आराजी 11, जो आम रास्ता 1339/86 से लगी हुई हैं, उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से वादी अपनी वादग्रस्त आराजी तक पहुंच सकता है।

13. इस प्रकार प्रकरण में यह स्थिति नहीं पाई गई कि वादी के पास अपनी जोत तक पहुंच का कोई वैकल्पिक साधन उपलब्ध नहीं है; बल्कि रिकॉर्ड के आधार पर वैकल्पिक मार्ग/मार्गों की उपलब्धता स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है। ऐसे में धारा 251क(1)(ख) एवं धारा 251ए के तहत अपेक्षित "वैकल्पिक मार्ग का अभाव" की अनिवार्य शर्त पूर्ण नहीं होती।

14. जब वादी अपनी स्वयं अथवा अपने परिवार की सह-खातेदारी वाली जोत

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

से होकर तथा पहले से विद्यमान पगडंडी मार्ग एवं सार्वजनिक रास्ते का उपयोग कर वादग्रस्त खसरों तक पहुंच सकता है, तब केवल अधिक सुविधाजनक मार्ग प्राप्त करने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता दिलाने की मांग को "आत्यन्तिक आवश्यकता" नहीं माना जा सकता।अतः प्रार्थी की आवश्यकता सुविधाजनक मात्र प्रतीत होती है, अनिवार्य नहीं।

15. अप्रार्थीगण द्वारा यह आपत्ति भी उठाई गई कि जिस खसरा नंबर 1316/85 की मेड़ पर से होकर वादी मार्ग चाहता है, उसके सह-खातेदार भूलीबाई पत्नी अमरलाल को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है।[1] नकल जमाबंदी से यह तथ्य पुष्ट होता है कि खसरा नंबर 1316/85 रकबा 0.1295 हेक्टेयर, भूलीबाई पत्नी अमरलाल सहित अन्य खातेदारों के नाम सह-खातेदारी में दर्ज है। वादी ने ऐसे सह-खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया, जबकि प्रस्तावित मार्ग सीधे उनकी जोत से प्रभावित होता है, अतः निष्पक्ष निर्णय हेतु उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया जाना अनिवार्य था। आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थना पत्र तकनीकी दृष्टि से भी दोषपूर्ण एवं चलने योग्य नहीं है, और इस आधार पर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायसंगत है।

16. उपरोक्त समस्त अभिलेख, तहसीलदार रिपोर्ट, पक्षकारों के कथन एवं धारा 251क/251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विधिक मापदंडों के परीक्षण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि – वादी ने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य छुपाया कि खसरा नंबर 1205/83, उसकी पत्नी/माता के नाम सह-खातेदारी की आराजी 1386/11 तथा स्वयं वादी की सह-खातेदारी वाली आराजी नंबर 11 से लगी हुई है, जो आम रास्ता खसरा नंबर 1339/86 से सटी हुई हैं और जिनसे होकर वादी अपनी वादग्रस्त आराजी तक पहुंच सकता है।तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि वादी की जोत तक पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग/पगडंडी मार्ग तथा स्वयं/परिवार की सह-खातेदारी वाली अन्य आराजियों के माध्यम से पहुंच का साधन उपलब्ध है, अतः "वैकल्पिक मार्ग के अभाव" की शर्त पूर्ण नहीं होती।वादी की आवश्यकता केवल सुविधाजनक मात्र है, आत्यन्तिक नहीं, जबकि धारा 251क/251ए के तहत राहत का मापदंड आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रस्तावित मार्ग जिन आराजियों की मेड़ से होकर चाहा गया है, उनमें से खसरा नंबर 1316/85 की सह-खातेदार भूलीबाई को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकार के अभाव में भी दोषपूर्ण है।उपर्युक्त कारणों से वादी क्लीन हैंड्स से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है तथा तथ्य छुपाकर एवं

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता होते हुए भी अपवादात्मक राहत का अनुचित लाभ लेने का प्रयास कर रहा है।

::आदेश::

प्रार्थीगण का धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तथ्यों को छुपाने,वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता एवं आवश्यक पक्षकार के अभाव के कारण निराधार पाया जाकर, खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे द्वारा लिखवाया गया तथा न्यायालय की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज.)

17.4.26

पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना